

14036/673/2014-जप

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: 28<sup>th</sup> Dec 2014

सेवा में

श्री चरत सिंह,  
खसरा सं. 165, 30 फुटा रोड,  
गांव-चौहान पट्टी,  
नजदीक सरकारी डिस्पेंसरी,  
दिल्ली-110094

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 01.11.2013 का आवेदन।  
महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 24.12.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके कानूनी नोटिस को इस मंत्रालय को दिनांक 7/8 नवम्बर, 2013 के पत्र सं. 14040/124/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दिया गया है और इसलिए आपका आर टी आई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दिल्ली पुलिस को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

*चित्रा नारायण*

(चित्रा नारायण)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अवर सचिव (डी पी-1)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति, इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

*1854-1 with Encl*  
*11/12/14*

*17/11*

*9c*